(ii) 47 Special Employment Exchanges and 41 Special Cells in normal Employment Exchanges exist in different States/ UTs to help exclusively the handicapped persons in finding placement. This is in addition to the help provided by the normal employment exchanges.

(iii) Seventeen Vocational Rehabilitation Centres have been set up to assess the residual ability of the disabled, arrange their training and place them in employment.

(iv) For promoting self-employment amongst handicapped persons, concessions have been provided to them in following matters:

(a) Allotment of vending stalls, kiosks & shops by same State Govts./UTs.

(b) Loans from Nationalised Banks at concessional Rates of interest.

(c) Preference on Allotment of public telephone booths.

(d) Reservation in distribution of Petrol Pumps, Kerosene Depots etc.

(v) National Handicapped Finance & Development Corporation is being set up to provide an additional change of finance at concessional rates to enable the handicapped persons to take up self-employment projects.

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

157. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि मजदूरों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) कृषि मजदूरों के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को समुचित ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) कृषि श्रमिकों की संख्या और विभिन्न राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से संबंधित उपलब्ध सूचना विवरण में संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सिक्किम राज्य, जहां इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कारगरता में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपाय करने के लिए कहती रहती है। इस संबंध में सुझाये गये उपायों में अधिनियम के प्रवर्तन, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने, रेडियो, प्रेस आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अधिनियम के उपबंधों को व्यापक प्रचार

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियत कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	11625	30.00 रु० से 36.60 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (12.2.96)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
2.	अरूणाचल प्रदेश	20	21.00 रु० से 24.00 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	845	1134.00 रु० प्रतिमाह या 984.00 रु० प्रतिमाह भोजन, आवास और कपड़ा सहित (1.2.92)
4.	बिहार	9513	27.30 रु० प्रतिदिन (22.12.95)
5.	गोवा	35	46.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	3231	15.00 रु० प्रतिदिन (1.8.90)
7.	हरियाणा	897	48.57 रु० प्रतिदिन भोजन सहित या 52.57 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.7.95)
8.	हिमाचल प्रदेश	59	45.75 प्रतिदिन (1.3.95)
9.	जम्मू और कश्मीर	—	30.00 रु० प्रतिदिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	5000	26.00 प्रतिदिन (12.7.88)
11.	केरल	2120	30.00 रु० प्रतिदिन महिलाओं हेतु 40.20 रु० प्रतिदिन पुरुषों हेतु (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	5863	35.30 रु० प्रतिदिन (1.10.95)
13.	महाराष्ट्र	8313	20.00 रु० प्रतिदिन से 29.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47	40.90 प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 37.90 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा क्षेत्रों के लिए (23.12.88)
15.	मेघालय	89	35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	35.00 रु० प्रतिदिन (11.6.93)
17.	नागालैंड	7	25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2967	25.00 रु० प्रतिदिन (1.7.90)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
19.	पंजाब	1453	55.58 रु० प्रतिदिन बिना भोजन या 49.53 रु० प्रतिदिन भोजन सहित (1.9.95)
20.	राजस्थान	1392	32.00 रु० प्रतिदिन (जनवरी, 95)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	7899	20.00 रु० प्रतिदिन (6.4.93)
23.	त्रिपुरा	188	26.65 रु० प्रतिदिन (15.5.95)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	33.00 रु० प्रतिदिन से 35.00 रु० प्रतिदिन (7.1.92)
25.	पश्चिम बंगाल	5055	37.00 रु० प्रतिदिन 27.80 रु० प्रतिदिन दो मुख्य भोजन सहित (1.10.94)
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	27.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान) 28.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार) (13.8.92)
27.	चंडीगढ़	2	39.42 प्रतिदिन भोजन सहित या 43.25 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.3.92)
28.	दादरा और नागर हवेली	6	40.00 रु० प्रतिदिन (10.5.95)
29.	दिल्ली	25*	59.45 रु० प्रतिदिन (1.8.95)
30.	दमन और दीव	1	35.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप		30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.93)
32.	पांडिचेरी	7	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र		20.00 रु० से 22.20 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र		30.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य क्षेत्र हेतु 40.20 रु० प्रतिदिन भारी कार्य हेतु (24.7.95)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
	(iii) यनम क्षेत्र		19.25 रु॰ से 26.25 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) करईकल		20.00 रु॰ प्रतिदिन 22.00 रु॰ प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र		55.53 रु॰ प्रतिदिन (1.4.96)

नोट: 1. स्तम्भ 4 में दर्शायी गयी तारीख, मजदूरी अथवा परिवर्ती महंगाई भत्ते के पिछले संशोधन की तारीख है।
2. कृषि कर्मकारों की संख्या जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुसार है।

Accumulated Losses of super Bazar

158. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the accumulated losses of Super Bazar Consumer Society Limited till date;

(b) reasons for such huge losses;

(c) whether Government have any fresh proposals to bring down the accumulated losses of Super Bazar and to make it a profitable organisation;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) According to the audited accounts of the Super Bazar, Delhi, upto 1994-95 it is running in profit. Hence the question

(b) to (e): Do not arise.

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

159. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, स्वयं सेवी संगठनों और आदिवासी सहकारी संगठनों के माध्यम से स्थापित औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु बनाई गई विस्तृत कार्ययोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) इस प्रकार के कोई आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमी अपनी योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और वे इस संबंध में उपलब्ध करवाये गए विद्यमान प्रोत्साहनों और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Industrial Crisis due to Coal Shortage

160. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the small and * tiny industries in the country, particularly in Gujarat State are facing deep crisis due to shortage of coal;

(b) if so, the reasons for the shortage; and

(c) what immediate steps have been taken by Government to ensure smooth availability of coal to the industries in the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Industry and some other sectors are